



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15 ]

नई दिल्ली, शनिवार, चैत्र 14, 1973/चैत्र 24, 1895

No. 15 ]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1973/CHAITRA 24, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate PAGING is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च 1973

सा. का. नि. 382.—केन्द्रीय सरकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नीलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) ये विनियम "नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विनियम", 1973 कहलायेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 में, विनियम 5 के पश्चात् निम्नीलिखित विनियम अन्तर्निविष्ट किया जायेगा; अर्थात्—

1 G I/73—1

"5 (क) पदावधि—विनियम 5 के अधीन एक अभ्यर्थी को प्रारम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए कार की सक्षमता प्रदान की जायेगी जो कि हर बार तीन वर्ष की अवधि के लिये एक से अधिक बार बढ़ायी भी जा सकेगी।"

[सं. 10/5/71-महानिर्देश. नाग. रक्षा(नाग. रक्षा)]

बी. आर पटेल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, 30th March, 1973

G.S.R. 382.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Civil Defence Regulations, 1968, namely:—

- (1) These regulations may be called the Civil Defence (Amendment) Regulations, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(785)

2. In the Civil Defence Regulations, 1968, after regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:—

“5(A) Tenure—A candidate shall be enrolled as a member of the Corps under regulation 5 initially for a tenure of three years which may be extended more than once each time by a further period of three years.”

[No. 10/5/71-DGCD(CD)]

B. R. PATEL, Joint Secy.

मुद्रित

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

सां. कां. निं. 383.—दिनांक 3 फरवरी 1973 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० सां. कां. निं. 87 में नियम 1 में “1972” श्रंकों के स्थान पर “1973” पढ़ें।

[सं. 11/5/71-आई०सी०एफ०एस० (पर्सनल-1)]

CORRIGENDUM

New Delhi, 31 March 1973

G.S.R. 383.—In this Ministry's notification No. GSR 87 published in the Gazette of India dated the 3rd February 1973, in Rule 1 for the figure “1972” read “1973”.

[No. 11/5/71-ICFS/Pers. I]

मुद्रित

सां. कां. निं. 384.—दिनांक 3 फरवरी 1973 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० सां. कां. निं. 88 में नियम 1 में “1972” श्रंकों के स्थान पर “1973” पढ़ें।

[सं. 11/5/71-आई०सी०एफ०एस० (पर्सनल-1)]

पी० के० जी० काइमल, अवर सचिव

CORRIGENDUM

G.S.R. 384.—In this Ministry's notification No. GSR 88 published in the Gazette of India dated the 3rd February, 1973, in Rule 1 for the figure “1972” read “1973”.

[No. 11/5/71-ICFS/Pers. I]

P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च 1973

सा. का. नि. 385.—संवैधानिक उपबन्ध 309 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय दूतावास, आर्थिक

स्कन्ध, वाशिंगटन में प्रथम सचिव (आर्थिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के एतद्वारा निम्नीलिखित नियम बनाते हैं:—

(1) सीक्षणा शीर्षक और प्रारम्भ:—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, प्रथम सचिव (आर्थिक) आर्थिक स्कन्ध, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन भर्ती नियम, 1973 कहें जायेंगे।

2. प्रवृत्त:—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 तारीख से लागू होंगे।

2. प्रवृत्त:—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्धारित पद पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वहीं होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्धारित हैं।

4. भरती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं:—भरती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वहीं होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्धारित हैं।

5. अनर्हताएं:—कोई व्यक्ति, जिसने:—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हैं, अथवा

(ख) अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो,

उक्त पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाय कि ऐसे व्यक्तियों को वैयक्तिक विधि के अनुसार इस प्रकार के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति:—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इन नियमों के किसी उपबन्ध में किसी श्रेणी के अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है वहां उसके कारणों का लिखित रूप से उल्लेख करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश जारी करके छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्त:—सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग विशेष के व्यक्तियों के लिये प्रारक्षण और अन्य अपेक्षित सुविधाएं देने पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची							
क्रम सं०	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	क्या पद प्रवर्णन है या अप्रवर्णन	सीधी भरती वालों के लिये आयुसीमा	सीधी भरती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक और प्रहताएं।	क्या सीधी भरती वालों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति अंतरण के मामले में लागू होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथम सचिव (आर्थिक) आर्थिक स्कन्ध, वार्शगटन	भारतीय दूतवास, एक	₹ 900-50-1000-60-1600-100-1800	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भारतीय पद्धति, क्या सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/अथवा अंतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिप्रतता।	पदोन्नति/अंतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जायगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन।	वे परिस्थितियां जिनमें भरती करते समय सच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।		
	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण : भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी अथवा समकक्ष ग्रेड के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I/प्रवर्णन ग्रेड अधिकारी अथवा उसके समकक्ष अधिकारी जिन्हें आर्थिक मामलों, ऋणों आदि सम्बन्धी काम का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	भारतीय सेवा के अधिकारी अथवा भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I/प्रवर्णन ग्रेड अधिकारी अथवा उसके समकक्ष अधिकारी जिन्हें आर्थिक मामलों, ऋणों आदि सम्बन्धी काम का अनुभव है।	लागू नहीं होता।		सच लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियम, 1958 में जैसा अपेक्षित है।

[(सं० जी-11019/2/71/प्र० 3)]

एस० एल० वत्त, अवर सचिव,

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economic Affairs)  
New Delhi, the 21st March, 1973

**G.S.R. 385.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of First Secretary (Economic), Embassy of India, Economic Wing, Washington, under the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, First Secretary (Economic), Economic Wing, Embassy of India, Washington Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification:**—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification.	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	
1.	First Secretary (Economic), Embassy of India, Economic Wing, Washington	One	General Service (Gazetted)	Rs. 900-50-1000-60-1600-100-1800	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees/transfers.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation/grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition?	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	
	8	9	10	11	12	13	
	Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation.	<b>Transfer on deputation.</b> Senior scale officers of the Indian Administrative Service/ Indian Foreign Service or officers of equivalent Grade of the Indian Economic Service or Grade 1/Selection Grade Officers of the Central Secretariat Service or equivalent having experience of work relating to economic matters, loans, credits, etc.  (Period of deputation ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.	

[G. 11019/2/71-Admn. III]

S. L. DUTT, Under Secy.

## (कोषीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

## आयकर

सांकां०३८६.—भारत के राजपत्र, साधारण, भाग 2, खण्ड 3क में प्रकाशित अधिसूचना सं० कां०आ०४०४१, दिनांक 15 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे।

सन्वर्ध (पृष्ठ सं० आदि) निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित पढ़िए

(1)	(2)	(3)
पृष्ठ 1. ऊपर से चतुर्थ पंक्ति	धन कर	आय कर
पृष्ठ 1. (कालम पहला)		
पैरा 1 का उप पैरा (2)	और नियम 31, जनवरी, 1973	और नियम 3, 1 जनवरी, 1973.

(1)	(2)	(3)
पैरा 2 की द्वितीय पंक्ति	म	में
पैरा 2 के अन्तर्गत 48व की तीसरी पंक्ति	के आधार पर और	के आधार और
पैरा 2 के अन्तर्गत 48ज की प्रतिम पंक्ति	... की जाएगी।	... की जाएगी।"
पृष्ठ 1 (कालम दूसरा)	1"1	
पैरा 3 के अन्तर्गत III कख की प्रथम पंक्ति	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन
पैरा 4 के अन्तर्गत		
123. की प्रथम पंक्ति	उत्वाहरण	उत्धरण
124. की प्रथम पंक्ति नीचे से छठी पंक्ति	उत्वाहरण प्रत्यार्थी	उत्धरण प्रत्यार्थी
पृष्ठ 2 (कालम पहला)		
ऊपर से सातवीं पंक्ति नवीं पंक्ति	प्रत्यार्थी	प्रत्यार्थी
	7. अपील में—	* 7. ; अपील में—

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st March, 1973

G.S.R. 388.—Year "1966" appearing in the last line of para 1 of G.S.R. 1131 dated the 28th August, 1972 published in Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i) dated the 16th September, 1972 may be amended to read as "1969".

[71-20/71-CA-1]

J. S. UPPAL, Dy. Secy.

(1)	(2)	(3)
दसवीं पंक्ति नीचे से—	अपील का आधार	*अपील का आधार
बारहवीं पंक्ति	लिखित	लिखित
पांचवीं पंक्ति	अन्तरित*	अन्तरित
दूसरी पंक्ति	*6 यदि जगह...	*6 यदि जगह...
पृष्ठ 2 (कालम दूसरा)		
क्रम सं० 9	प्रकाशित	प्रकाशित
क्रम सं० 11	लिखित	लिखित
क्रम सं० 12 (ख)	आशय	आशय
पृष्ठ 3 (कालम पहला)		
ऊपर से		
20वीं पंक्ति	(नियम 49ज देखिए)	(नियम 48ज देखिए)
22वीं पंक्ति	रजिस्ट्रीकर्ता का नाम	रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का नाम
26वीं पंक्ति	समुच्च	समुच्चय
32वीं पंक्ति नीचे से—	सम्पत्ति का अन्तरण	संपत्ति का अन्तरण*
बौधी पंक्ति	विदरणों	विवरणी
पृष्ठ 3 (कालम दूसरा)		
क्रम सं० (iv) की प्रथम पंक्ति	दस्ताज	दस्तावेज
क्रम सं० (v) की तीसरी पंक्ति	पदाभिधान	पदाभिधान
नीचे से सोलहवीं पंक्ति	... द्वारा मेरे	द्वारा *मेरे
पृष्ठ 4 (कालम पहला)		
ऊपर से नवीं पंक्ति	यह कथन करता है	यह कथन करना है
पृष्ठ 4 (कालम दूसरा)		
ऊपर से नवीं पंक्ति	(ii) धारा...	* (ii) धारा...
अन्तिम पंक्ति	ओ०पी० भारद्वाज, सचिव	ओ० पी० भारद्वाज, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

[सं० 327(फ०सं० 142(30)/72-टी०पी०एल०)]  
ओ० पी० भारद्वाज, सचिव

वित्त मन्त्रालय  
(राजस्व और बीमा विभाग)

दृष्टि पत्र

नई दिल्ली 14 अप्रैल, 1973

सा०का०नि० 387.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 13 जनवरी, 1973 के पृष्ठ 27 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 28 (सं० 5/73 सीमाशुल्क/फा० सं० 476/32/72-सीमा शुल्क-7), तारीख 13 जनवरी, 1973 में,—

"चासीस रु०" के स्थान पर "पचास रु०" पढ़े।

[फा० सं 476/32/72-सीमाशुल्क]  
के० शंकर रामन, प्रवर सचिव

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th April, 1973

G.S.R. 387.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 28 (5/73-Customs F.No.476/32 72-Cus. VII) dated the 13th January, 1973, published at page 28 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 13th January, 1973 for "forty rupees", read "fifty rupees".

[F. No. 476/32/72-Cus. VII]  
K. SANKARARAMAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

सा. का. नि. 389.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा परिवार नियोजन विभाग में अभियान अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रणाली का विनियमन करते हुए निम्नीलिखित नियम बनाते हैं, जैसे—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—

1. इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग में (अभियान अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाएगा।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपयोजन :

ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा बतनमान :

पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा बतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की विधि, आय, सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आय, सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आय, सीमा शिथिल की जा सकती है।

## 5. अनर्हता :—कोई व्यक्ति ,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सीबदा करता/करती है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सीबदा करता/करती है, संघ में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु, केंद्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञाय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

## 6. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है बहाने वह कारणों का लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ले कर आवेश जारी करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

## 7. अपवाद :

इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आवेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा विशेष वर्गों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

## अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या सेलेक्शन पद प्रथमा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए प्रायु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित तथा अन्य शर्तें	शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
प्रभियान अधिकारी	एक	सामान्य केंद्रीय सेवा श्रेणी I राज-पत्रित	₹० 700-40-1100-50-2-1250	लागू नहीं होना	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
क्या पदोन्नति से रूखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रायु और शैक्षिक शर्तें लागू होंगी ।	परिक्षा की प्रवृत्ति यदि कोई हो ।	भर्ती का तरीका द्वारा या पदोन्नति के द्वारा प्रथम या द्वितीय तरीके द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।	सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के द्वारा स्थापना के द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है ।	परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए सीधी लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है ।	
8	9	10	11	12	13		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	लागू नहीं होता	सब लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत यथापेक्षित		
			केंद्रीय सूचना सेवा के ग्रेड I के अधिकारी प्राकाशवाणी के स्टेशन इंस्पेक्टर (सामान्य सेवा); ऐसा न होने पर ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय सूचना सेवा, ग्रेड II के अधिकारी । प्राकाशवाणी के सहायक स्टेशन इंस्पेक्टर ग्रेड के अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की प्रवृत्ति आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।				

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING**  
**(Department of Family Planning)**  
 New Delhi, the 12th March, 1973

**G.S.R. 389.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Campaign Officer in the Department of Family Planning, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Family Planning (Campaign Officer) Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post as specified in Column 1 of the Schedule Annexed to these rules.

**3. Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed

in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Campaign Officer	One	General Service, Gazetted	Central Class I, Rs. 700-40-1100-50/2-1250	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	rect.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	<b>Transfer on Deputation</b>	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.	
			Grade I Officer of the Central Information Service/Station Directors (Ordinary Grade) of All India Radio; failing which Grade II officers of the Central Information Service/Officers of the grade of Assistant station/Directors. All India Radio with at least five years service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years)			

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1973

सांकांति० 390.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक् द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा परिवार नियोजन विभाग में मेकेनिक के पद पर भर्ती की प्रणाली का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे :—

#### संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग (मेकेनिक) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाएगा।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. लागू होगा

ये नियम इसके माथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निरिष्ट है।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि

उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निरिष्ट है।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के लिये छूट दी जा सकेगी।

5. अर्हता : कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुसूचित है, और ऐसा करने के अन्य आधारे हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह कारणों को निरिष्ट रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से मसाला लेकर आदेश जारी करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. अयबाब

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
मेकेनिक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	र० 150-5-175-6-205-द०रो०-7-240	लागू नहीं होता	21-28 वर्ष	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालयबोर्ड से मैट्रिक पास। (2) किसी मशीन के कारखाने में काम आने वाले खराद तथा अन्य मशीनी औजारों के प्रयोग में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तथा आफसेट सुव्रण और सम्बन्धित मशीनों के अनुरक्षण में भी पूर्ण निपुण होना चाहिये।
						वांछनीय : तकनीकी अर्हता जैसे कि फिटर ट्रेड में आई० टी० आई० का प्रमाण पत्र।
क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी।	परि-बोधा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है।		परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिये संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



New Delhi, the 17th March, 1973

G.S.R. 390.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mechanic in the Department of Family Planning, namely:

1. **Short title and commencement :** (i) These rules may be called the Department of Family Planning (Mechanic) Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :** These rules shall apply for recruitment to the post as specified in Column I of the Schedule Annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay :** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc :** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age-limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes

and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification :** No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving :** Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Mechanic	One	General Central service Class III Non-Gazetted, Non Ministerial.	Rs. 150-5-175-6-205-EB-7-240	Not applicable	21—28 years
Education and other qualifications required for direct recruits.			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	
7			8	9	
<b>Essential :</b>					
(i) Matriculation from a recognised University/Board			Not applicable	Two years	
(ii) Must have at least five years' experience of lathe and other machines tools used in Machine workshop and be fully conversant with maintenance of offset printing and allied machines.					
<b>Desirable :</b>					
Technical qualification such as I.T.I. Certificate in Fitter trade.					
Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		In cases of recruitment by Promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
10		11	12	13	
By direct recruitment		Not applicable	Not applicable	Not applicable	

सांकांतिक 301.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति तथा वा प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति एवं उद्भाग परिवार नियोजन विभाग म खाता नवीम क पद पर भर्ती की प्रणाली का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे —

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :

1 इन नियमों को परिवार नियोजन विभाग (खाता नवीम) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाएगा ।

2 ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की विधि से लागू होंगे ।

### 2. लागू होना :

ये नियम इसके साथ मूलन अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

### 3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :

उक्त पद की संख्या, उमका वर्गीकरण तथा वेतनमान बरी होगा जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

### 4. भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं आदि :

उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें बरी होगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है ।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के लिये छूट दी जा सकेगी ।

### 5. अर्हता काई व्यक्ति :

(क) जा किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविवा करता/करती है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/पत्नी क जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की सविवा करता/करती है, सेवा में नियुक्त का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान हाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूमेरे पक्षकार पर लागू शाने वाली विधि क अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

### 6. छूट देने की शक्ति :

जहा केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहा वह कारणों को विधि क रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सवध में सध लोक सेवा आयोग से सलाह लेकर आदेश जारी करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

### 7. अपवाद :

इस सवध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

### अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
खाता नवीम	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी III (अराज-पत्रित) (अलिपिक-वर्गीय)	रु० 110-3 131-4-155-२०-रो०-4-175-5-180	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	अनिवार्य . (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय अथवा वाउ से मैट्रिक पास अथवा समकक्ष अर्हता । (2) किसी सरकारी संगठन या प्रसिद्ध वाणिज्य प्रतिष्ठान में खाता तथा लेखा रखने का लगभग दो वर्ष का अनुभव ।
						<b>बाँछनोय</b> 1 टाहपिंग वा ज्ञान— गति कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट ।
क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी ।	परि-वीक्षा की अर्हता यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय पदा-न्नति समिति है तो उसका क्या गठन है ।		परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए सशुभ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है ।
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सतुर्थ श्रेणी कर्म-चारियों की पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

**G.S.R. 391.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ledger Keeper, in the Department of Family Planning, namely :—

1. **Short title and commencement :** (i) These rules may be called the Department of Family Planning (Ledger Keeper) Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :** These rules shall apply for recruitment to the post as specified in Column I of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay :** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc :** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age-limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the

case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification :** No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving :** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Ledger Keeper	One	General Central Service, Class III, (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180	Not applicable	Between 18-25 years.
Education and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	
7			8	9	
<b>Essential :</b>					
(i) Matriculation or equivalent qualification of a recognized University or Board.			Not applicable.	Two years.	
(ii) About 2 years' experience of maintaining Ledger and Accounts in a Government Organisation or Commercial concern of repute.					
<b>Desirable :</b>					
Knowledge of Typewriting—Speed of at least 30 words per minute.					
Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		
10	11		12		
By promotion from among the Class IV employees of the Ministry of Health & Family Planning & the Dte. General of Health Services—failing which by direct recruitment	Not applicable.		Not applicable.		
Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.					
13					
Not applicable.					

## (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1973

सा० का० नि० 392.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशक सिविल डिफेंस), (चिकित्सा) भर्ती नियमावली, 1968 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामतः—

## 1. संशोधन शीर्षक और प्रारम्भ

- (1) ये नियम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशक, सिविल डिफेंस) (चिकित्सा) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1973 कहे जायें।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

## 2. नियम 5 का प्रतिस्थापन

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशक, सिविल डिफेंस) (चिकित्सा) भर्ती नियमावली, 1968 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जायेगा) के नियम 5 के लिये निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायगा, नामतः :—

## 5. अनर्हता : कोई व्यक्ति :

- (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह

की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

- (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

## 3. नये नियम 7 का अन्तःस्थापन

उक्त नियमावली के नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, नामतः—

“7. व्याप्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों में निहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 4. अनुसूची का प्रतिस्थापन

उपर्युक्त नियमावली की अनुसूची के लिये निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाय, नामतः :—

## अनुसूची

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में निदेशक सिविल डिफेंस (चिकित्सा) के पद के लिये भर्ती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक सिविल डिफेंस (चिकित्सा)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1 (राजपत्रित)	रु० 1300-60-1600	लागू नहीं होता	50 वर्ष, सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है।	अवश्यक : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II (लाइसेंसिंग अर्हताओं को छोड़कर) में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता/तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता-धारियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13(3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना चाहिये। (ii) चिकित्सा, सर्जरी या जन-स्वास्थ्य में सनातकोत्तर अर्हता या इसके तुल्य अर्हता। (iii) प्रशासन कार्य के अच्छे अनुभव के साथ इस व्यवसाय के कार्य का 12 वर्ष का अनुभव। (iv) किसी बड़े सिविल या मिलिट्री अस्पताल को चलाने तथा सिविल डिफेंस के संचालन का अनुभव।

अन्यथा सुयोग्य उमीदवारों के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

भया पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परि- बीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाता है	यदि विभागीय पदो- न्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए सघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
---	--	---	--	--	---

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न होने पर पुनः नियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों में समान पदों पर कार्य कर रहे सुयोग्य अधिकारी या जिनकी क्रमशः रु० 450—1250 या रु० 600—1300 के वेतनमान में इन पदों पर 10 या 8 वर्ष की सेवा हो तथा जिनके पास सीधे भर्ती के लिये कालम 7 में निर्धारित शैक्षणिक या अन्य अर्हताएँ हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग विनियम 1958 के अधीन अपेक्षित (परामर्श से छूट)।
			<b>पुनर्नियुक्ति :</b> मण्डल चिकित्सा/कोच/केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ममुचित रैंक/स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी जिनके पास सीधी भर्ती के लिये कालम 7 में निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएँ हों। (इस विषय पर सरकार के आदेशों के अधीन साधारणतया पुनर्नियुक्ति के लिये स्वीकृत आयु तक)।		

[सं० ए० 12018/10/71 स्थापना (नीति)]  
रवीन्द्रनाथ मिन्हा, अवर सचिव

(Department of Health)  
New Delhi, the 30th March, 1973

**G.S.R. 392.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Health Services [Director of Civil Defence (Medical)] Recruitment Rules, 1968, namely:—

**1. Short title and commencement.**—

(1) These rules may be called the Directorate General of Health Services [Director of Civil Defence (Medical)] Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Substitution of rule 5**

For rule 5 of the Directorate General of Health Services [Director of Civil Defence (Medical)] Recruitment Rules, 1968 (herein-after referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:—

**“5. Disqualifications.**—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.”

**3. Insertion of new rule 7**

After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

**“7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.”

**4. Substitution of the Schedule**

For the Schedule to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

## Recruitment Rules for the post of Director of Civil Defence (Medical), Directorate General of Health Services

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"Director of Civil Defence (Medical)	1	General Central service Class I, (Gazetted)	Rs. 1300-60-1600	Not applicable	50 years (Relaxable for Government servants)	<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) A medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956.</p> <p>(ii) Post-graduate qualification in Medicine, Surgery or Public Health or equivalent qualifications.</p> <p>(iii) 12 years' standing in the Profession with considerable experience in administration.</p> <p>(iv) Experience of running a big civil or military hospital, and in organising civil defence. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).</p>
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By transfer on deputation, failing which by direct recruitment; failing both by re-employment	<p><b>Transfer on deputation :</b> Suitable officers from Central/ State Governments holding analogous posts, or with 10 years or 8 years service in posts in the scale of Rs. 450—1250 or Rs. 600—1300 respectively, possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits in col. 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 4 years)</p> <p><b>Re-employment :</b> Retired Armed Medical Corps Officers/Central Health Service officers of the appropriate rank/status possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits in col. 7 (upto the age normally permissible for such re-employment under the Government orders on the subjects).</p>	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958".	

## इस्पात और खान मंत्रालय

## (खान विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1973

सांख्यिकी 393.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसूचितीय पद) भर्ती नियम, 1968 में और प्रागे मणोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसूचितीय पद) (मणोधन) भर्ती नियम, 1973 होगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसूचितीय पद) भर्ती नियम, 1968 में क्रम सं० 14 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

1	2	3	4	5	6	7
"15.	महानिदेशक के वैयक्तिक सहायक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, अनुसूचितीय अराजपत्रित	350-20-450-25-475 50।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियुक्ति के पश्चात् छेड़ में दो वर्ष की नियमित आधार पर सेवा वाले अधीक्षक पद से स्थानान्तरण।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा० सं० ए-12018/33/71-खान-2]

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

## (Department of Mines)

New Delhi, the 2nd April, 1973

G.S.R. 393.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968 after Serial No.14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"15.	Personnel Assistant to Director General	1	General Central Service, Ministerial, Non-Gazetted.	Rs.350-20-450-25-475.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11	12	13	14		
Not applicable	Not applicable	By transfer	Transfer from Superintendent in the Geological Survey of India, with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis	Not applicable	Not applicable		

[File No. A-12018/33/71-M2.]

सा० का० नि० 394—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III—अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसचिवीय पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 होगा

(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III—अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में —

(1) अवर श्रेणी लिपिक के पद के संबंध में क्रम संख्या 6 के समक्ष, स्तम्भ 7 के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर "18 और 25 वर्षों के बीच" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(2) आशुलिपिक (मामूली श्रेणी) के पद के संबंध में क्रम संख्या 9 के समक्ष स्तम्भ 7 के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर "18 और 25 वर्षों के बीच" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(3) स्टोर क्लर्क के पद के संबंध में क्रमसंख्या 11 के समक्ष, स्तम्भ 7 के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर "18 और 25 वर्षों के बीच" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फाइल सं०—12019/7/72 खान-2]

**G.S.R. 394.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Class III—Ministerial Posts—Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Class III—Ministerial Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India (Class III—Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968,—

(1) against serial number 6 relating to the post of Lower Division Clerk, for the entry under column 7, the entry "Between 18 and 25 years" shall be substituted;

(2) against serial number 9 relating to the post of Stenographer (Ordinary Grade), for the entry under Column 7, the entry "Between 18 and 25 years" shall be substituted;

(3) against serial number 11 relating to the post of Store Clerk for the entry under column 7, the entry "Between 18 and 25 years" shall be substituted.

[File No. A-12018/7/72-M 2]

सा० का० नि० 395—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसचिवीय पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 होगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद से संबंधित क्रम सं० 51 के विरुद्ध स्तम्भ 7 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् .

"23 और 35 वर्ष के बीच"

[फा० सं० ए-12018/14/72-खान-2]

बिरेन्द्र गोपाल निगम, उप सचिव

**G.S.R. 395.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Class III—Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Class III Non-Ministerial posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India (Class III Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, against Serial Number 51 relating to the post of Assistant Librarian, for the entry under column 7, the following shall be substituted, namely:—

"Between 23 and 35 years."

[File No. A-12018/14/72-M2]

V. G. NIGAM, Dy. Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 24th March, 1973

**G.S.R. 396.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971.

1. (1) These rules may be called the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, against the posts of Lower Division Clerk, in column 6, for the words and figures "Not less than 18 years and not more than 21 years", the following words and figures shall be substituted, namely:—

"Minimum 18 years and maximum 25 years"

[No. A-12019/4/72-Admn.]

J. SANYAL, Under Secy.



**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय**

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग**

नई दिल्ली, 13 मार्च 1973

सा० का० नि० 397.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, क्रम सं० 6 "दस्तावेजी अधिकारी" और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनामान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7

7. प्रकाशन उत्पादन अधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग-I राजपत्रित।)	700-50-1250 ₹०।	लागू नहीं होता	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)	<b>आवश्यक :</b> (i) भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से मुद्रण और सहस्रद्वय व्यवसाय में डिप्लोमा। (ii) विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पुस्तकों, बुलेटिनो, विवरणिकाओं, पत्रिकाओं आदि के मुद्रण/उत्पादन में पर्यवेक्षी हैमियत में लगभग 8 वर्ष का अनुभव। (iii) मुद्रण प्रक्रियाओं और तकनीक, मुद्रण-रूप-सम्बन्धी अभिकल्पन, अभिन्यास, परिमाण और मूल्य-निर्धारण का उपयुक्त ज्ञान। (अन्यथा सुसहित अभ्यर्थियों की वशा में अर्हताएं आयु-संख्या के अनुसार शिथिल की जा सकेंगी।
----------------------------	---	---	--------------------	----------------	--	--

**वांछनीय:**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।
- (ii) प्रकाशन के विषय में अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आय और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वशा में लागू होंगी या नहीं	परिशीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय भर्ती करने में किन प्रोन्नति समिति हो परस्थितियों में संघ तो उसकी संरचना लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	-------------------------------	--	---	--

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधीन सद्गुण पद धारण करने वाले या 400-950 ₹० के वेतनमान या समतुल्य पदों में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक न होगी)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[सं० ए० 12018(16)/71-सर्वे 3]

ए० सी० सेठी, अवर सचिव।

**MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE**  
(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 13th March, 1973

**G.S.R. 397.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Zoological Survey of India (Central Service Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No. 5 "Documentation Officer" and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

"here enter the details of 7 from the enclosed Schedule".

**SCHEDULE**

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
7. Publication Production Officer	1	General Central Service Class-I Gazetted	Rs. 700-50-1250	Not applicable	40 years (Relaxable for Government servants)	<p><b>Essential</b></p> <p>(i) Diploma in Printing and allied trades from a recognised technical institution in India or abroad.</p> <p>(ii) About 8 years' experience in a supervisory capacity in printing/production of various types of scientific books, bulletins, brochures, journals, etc.</p> <p>(iii) Sound knowledge of printing processes and techniques, typographical designing, layout, estimating and costing.</p> <p>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)</p> <p><b>Desirable</b></p> <p>(i) Degree of a recognised University.</p> <p>(ii) Experience in sale of Publications.</p>
Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	Method of rectt. whether by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	Transfer on deputation failing which by direct recruitment	<b>Transfer on deputation</b> Officers under the Central Government holding analogous posts or with at least 5 years service in the posts in the scale of Rs. 400-950 or equivalent, possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958.	

## पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

## (पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 398.—तेल क्षेत्र (विनियमन और (विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू समझे जायेंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 में :—

(क) नियम 10 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :

“बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार की यदि सुष्टि हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा लाइसेंस के लिए किसी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपर्युक्त क्षेत्र से संबंधित शर्त में छूट दे सकती है,”

(ख) नियम 12 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए अर्थात् :

“बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार की यदि सुष्टि हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा पट्टे के लिए किसी प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में उपर्युक्त क्षेत्र से संबंधित शर्त में छूट दे सकती है।”

[संख्या 12/17/72-एल एण्ड एल]

राजेन्द्रनाथ जोषड़ा, अवर सचिव।

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 4th April, 1973

G.S.R. 398.—In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959,—

(a) in rule 10, the following proviso shall be added at the end, namely:—

“Provided that the Central Government may, if satisfied that it is necessary in public interest so to do, by notification, relax the condition regarding area aforesaid in relation to any application for licence.”;

(b) in rule 12, the following proviso shall be added at the end, namely:—

“Provided that the Central Government may, if satisfied that it is necessary in public interest so to do, by notification, relax the condition regarding area aforesaid, in relation to any application for lease.”

[No. 12/17/72-L&L]

R. N. CHOPRA, Under Secy.

## सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1973

सा० का० नि० 399—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (गंगा नदी-क्षेत्र जल स्रोत संगठन) अनुसूचीबद्ध बर्ग 1 और बर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (गंगा नदी-क्षेत्र जल स्रोत संगठन) अनुसूचीबद्ध बर्ग 1 और बर्ग 2 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन :—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (गंगा नदी-क्षेत्र जल स्रोत संगठन) अनुसूचीबद्ध बर्ग 1 और बर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अंत स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची						
1	2	3	4	5	6	7
"6. उपमुख्य इंजीनियर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग।	1800-100-2000 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11	12		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति पर स्थानान्तरण द्वारा चयन सच लोक सेवा आयोग के परामर्श से होगा।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर निदेशक (चयन श्रेणी)/अधीक्षक-इंजीनियर (चयन श्रेणी) की पंक्ति के केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिकाारी या केन्द्रीय जल और बिद्युत आयोग में निदेशक (साधारण श्रेणी) अधीक्षक-इंजीनियर (साधारण श्रेणी), (जिनकी उम श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो) जलविद्या और जिन्हें गंगा नदी क्षेत्र के जल प्रयोग का प्रगाढ़ ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। गंगा नदी पाल जल स्त्रोत संगठन में उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा वाले, अधीक्षक इंजीनियर, पर भी विचार किया जायेगा। यदि उपर्युक्त गंगा नदी-पाल जल स्त्रोत संगठन में अधीक्षक इंजीनियर इस पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो यह पद पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।	वर्ग 1 विभागीय पदोन्नति समिति	सच लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विधियम 1958 के अधीन यथाप्रपेक्षित।"	
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि—मामूली तौर पर 5 वर्ष से अनधिक होगी)			

[स० 7/72(फा०6/1/71-प्रशा-5)]

जे० के० साहा, अवर सचिव

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 24th March, 1973

**G.S.R. 399.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Irrigation & Power (Ganga Basin Water Resources Organisation) Non-Ministerial Class I and II Posts Recruitment Rules, 1963, namely :—

**Short title and commencement :**

- (1) These rules may be called the Ministry of Irrigation & Power (Ganga Basin Water Resources Organisation) Non-Ministerial Class I and Class II Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1973.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**Amendment of the Schedule :**

2. In the Schedule to the Ministry of Irrigation & Power (Ganga Basin Water Resources Organisation) Non-Ministerial Class I and Class II Posts Recruitment Rules, 1963, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

## SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
"6 Deputy Chief Engineer.	One	General Central Service, Class I.	Rs. 1800-100-2000	Selection	Not applicable	Not applicable
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By transfer on deputation/Promotion selection being made in consultation with the Union Public service Commission.	Transfer on deputation/promotion : Officers of the Central/State Govt. of the rank of Director (Selection Grade)/Superintending Engineer (Selection Grade), or Director (Ordinary Grade)/ Superintending Engineer (Ordinary Grade) (with 5 years' service in the Grade) in the Central Water & Power Commission, having intimate knowledge and experience of hydrology and water use of the Ganga Basin. Superintending Engineer in the Ganga Basin Water Resources Organisation with 5 years' service in the grade will also be considered. If the Superintending Engineer in the Ganga Basin Water Resources Organisation mentioned above is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation—Ordinarily not exceeding 5 years.	Class I Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.	

[No. 7/72 (F.6/1/71-Adm.V.)]

J. K. SAHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1973

सा० का० नि० 400,—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिवार्ड और विद्युत मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में कतिपय वर्ग III, अनुसूचीय पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों की भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य बातें :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किन्हीं अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के सबंध में शिथिल की जा सकेगी।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उपर्युक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हा जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

## धनुसूची

## परिशिष्ट 1

विद्युत् और सिंचार्ध मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में वर्ग III पद (धनुसूचीय) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अचे- क्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्राशुलिपिक श्रेणी II	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराज- पत्रित, धनुसूचि- वीय	210-10-290-15- 320-४०-रो०-15-425 र०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. प्राशुलिपिक श्रेणी III	5	—यथोक्त—	130-6-160-8-200- ४०-रो०-8-256-8- 280-10-300 र०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	मैट्रिक या समतुल्य अर्हता प्राशुलिपि में 100 श०प्र०मि० और टाइ- पिंग में 40 श०प्र०मि० की न्यूनतम गति
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि/ पद्धति, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थाना- न्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रति- शतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था- नान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उस की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में श्रेणी III प्राशुलिपिक, जिनकी उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो और जो प्राशुलिपि में 120 श०प्र०मि० की विभा- गीय परीक्षा में अर्हित हों।	वर्ग III	वि०प्रो०स०	लागू नहीं होता
			प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों के उपर्युक्त प्राशुलिपिकों की प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रसामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)			
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. प्रधान लिपिक	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराजपक्षित	210-10-300-15-330- ६० रो०-15-380-६०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4. उच्च श्रेणी लिपिक/ रोकड़िया	4	अनुसंधायी, -यथोक्त-	उ०श्रे०लि० के लिए 130-5-160-160-8- 200-६० रो०-8- 256-8-280-10-300 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<b>रोकड़िया के लिए—</b> समय-समय पर यथा- अनुश्रुत विशेष वेतन सहित श्रेणी वेतन।						
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	66-2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थाना- न्तरण द्वारा 33-1/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा—उ०श्रे०लि०/ रोकड़िया की श्रेणी में से, जिनकी श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा— केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में से प्रथम लिपिकों या उच्च श्रेणी लिपिकों की श्रेणी के उपयुक्त अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रसामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	वर्ग III वि०प्रो०स०	लागू नहीं होता	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा  टिप्पण :—रोकड़िया का पद किसी उपयुक्त उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा भरा जाएगा।	प्रोन्नति द्वारा—निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में से जिनकी उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा हो।  प्रतिनियुक्ति द्वारा :—केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उ०श्रे०लि० या स्थायी नि० श्रे०लि० की श्रेणी में से उन उपयुक्त अधिकारियों की जिनकी 3 वर्ष की सेवा हो या उन अधिकारियों की जिनकी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्या- लयों में उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रसामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	वर्ग III वि०प्रो०स०	लागू नहीं होता	

1	2	3	4	5	6	7
5. निम्न श्रेणी लिपिक	8	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराज- पत्रित अनुसन्धीय	110-3-131-4-155- द०रो०-4-175-5- 180 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	(I) मैट्रिक पास या सम- तुल्य अर्हता (II) टाइप की 30 श० प्र० मि० की न्यूनतम गति, परन्तु ---  (क) टाइपिंग में उक्त अर्हता न रखने वाला कोई व्यक्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि वह वेतनमान में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने या श्रेणी में स्थायीकृतता या स्थायी होने के लिए तब तक पास नहीं होगा जब तक कि वह 30 श० प्र० मि० की गति प्राप्त नहीं कर लेता ;  (ख) शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त ऐसे किसी व्यक्ति को जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्याया ग्रहित है, लेकिन जिसके पास टाइप करने की उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सा-बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड न हो वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइप करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है।



8	9	10	11	12	13
हा	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<p>टिप्पण.—निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में सीधे भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 10 प्रतिशत रिक्तियां वर्ग IV कर्मचारियों (गंगा बाढ़ नियंत्रण प्रायोग के नियमित स्थापन पर) द्वारा भरी जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए प्रारक्षित रखी जाएगी;</p>					
<p>(क) चयन उस विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो वर्ग IV के उन कर्मचारियों तक सीमित रहेंगे जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक प्रहृताएं अर्थात् मैट्रिक या समतुल्य प्रहृता हैं;</p>					
<p>(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष);</p>					
<p>(ग) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी;</p>					
<p>(घ) हम पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के कार्टर में हुई रिक्तियों की 10 प्रतिशत रिक्तियों तक सीमित होगी, न भरी गई रिक्तियों को प्रागे नहीं ले जाया जायेगा।</p>					

[फा० सं० एफ० सी० 47(11)/72]

के० रमेश राव, उप सचिव

New Delhi, the 28th March, 1973

**G.S.R. 400.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class III Ministerial Posts in the Ganga Flood Control Commission under the Ministry of Irrigation and Power, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ganga Flood Control Commission (Class III posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other matters.**—The method of recruitment to the said posts, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the above posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

ANNEXURE I  
SCHEDULE

Recruitment Rules for Class III posts (Ministerial) in the Ganga flood Control Commission under Ministry of Irrigation and Power

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruit
1	2	3	4	5	6	7
1. Stenographer Grade II	2	General Central Service Class III, Non-gazetted, Non-ministerial	Rs.210-10-290-15-320-EB-15-425	Selection	Not applicable	Not applicable
2. Stenographer Grade III	5	-do-	Rs.130-6-160-8-200-EB-8-256-8-280-10-300	Not applicable	Between 18-25 years	Matriculation or equivalent qualification. Minimum speed of 100 w.p.m. in Shorthand and 40 w.p.m. in typing.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Method/period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct rectx. or by promotion or by deputation/transfer, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case the recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation	By Promotion from Stenographers Grade-III in the Ganga Flood Control Commission with not less than 5 years service in the grade and qualifying in departmental test at 120 w.p.m. in Shorthand.  By deputation of suitable stenographers of Central/State Governments Departments. (Period of deputation normally not exceeding 3 years).	Class III D.P.C.	Not applicable	
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not Applicable	

1	2	3	4	5	6	7
3. Head Clerk	3	General Central Service, Class III Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 210-10-300-15-330-EB-15-380.	Selection	Not applicable	Not applicable
4. Upper Division Clerk/Cashier	4	General Central Service, Class III Non-gazetted, Ministerial.	For U.D.C. Rs.130-5-160-8-200-FB-8-256-8-280-10-300. For Cashier Grade pay plus S.P. as admissible from time to time.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
5. Lower Division Clerk	8	General Central Service, Class III Non-gazetted Ministerial.	Rs. 110-3-131-4-135-EB-4-175-5-180.	Not applicable	Between 18—25 years.	(i) Matriculation or equivalent qualification. (ii) Minimum speed of 30 w.p.m. in typewriting. <b>Provided that:—</b> (a) a person not possessing the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 w.p.m. (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	66⅓% by promotion failing which by transfer on deputation. 33-1/3% by transfer on deputation.	By <b>promotion</b> from the grade of UDC/Cashier with 5 years service in the grade. By <b>deputation</b> from Central/ State Government departments of suitable officers in the grade of Head Clerks or UDCs with 5 years service in the grade.  (Period of deputation normally not exceeding 3 years).	Class III D.P.C.	Not applicable
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation.	By <b>promotion</b> from grade of Lower Division Clerk with 8 years service in the grade.	Class III D.P.C.	Not applicable
		<i>Note.</i> —The post of Cashier shall be filled by appointment of a suitable UDC.	By <b>Deputation</b> of suitable officers in the grade of U.D.C.s or permanent L.D.C. of CSCS with three years service or that of State Government and subordinate officers under Central Government with 8 years service in the grade.  (Period of deputation normally not exceeding 5 years).		
Yes	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
		<i>Note.</i> —10% of the vacancies in the grade of Lower Division Clerk to be filled by direct recruitment, will be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the Ganga Flood Control Commission) subject to the following conditions:			
		(a) Selection would be made through departmental examination confined to Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications, namely, Matriculation or equivalent qualification.			
		(b) The maximum age for this examination would be 45 years (50 years for the Schedule Cast/the Scheduled Tribes).			
		(c) At least 5 years' service in Class IV should be essential.			
		(d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerk occurring in a year; unfilled vacancies would not be carried over.			

**पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय  
(पर्यटन विभाग)**

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1973

सा०का०नि० 401.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों में वर्ग 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम पर्यटन और नागर विमानन (पर्यटन विभाग) भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु इस अनुसूची के स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के

अभ्यर्थियों या किसी अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।

5 **निरहताएं** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पर्यटन विभाग, भारत सरकार, भारत में पर्यटन कार्यालयों में दफ्तरी, पैकर, चपरासी और फराश एवं झाड़कण/चौकीदार/माली और गैस्टेटर प्रचालन के वर्ग 4 पदों के लिए भर्ती नियम

क्रम सं. पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	
1	2	3	4	5	6	
1	दफ्तरी	3	नागरिक के क्षेत्र सेरा (वर्ग 4 (तीन) अराजपत्रित)	75-1-85-२० रो० 2-95 रु०	अचयन	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की वषा में लागू होंगी या नहीं।		परिक्षा की श्रद्धि यदि कोई हो		
8		9		10		
मिडिल स्कूल स्तर तक पास		नहीं		2 वर्ष		
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संचना		
11		12		13		
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा, और वानों के ही न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।		प्रोन्नति —चपरासी, जिसकी उम श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की सया हो। स्थानान्तरण —ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन समरूप या समतुल्य पद धारण करते हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हो।		वर्ग 1 वि० प्रो० स०		
				लागू नहीं होता।		

1	2	3	4	5	6	7
2.	पैकर	5 (पांच)	साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4 अराजपत्रित)	75-1-85 द० रो० 2-95 रु०	अचयन	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच
3.	चपरासी	22 (बाईस)	साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4 अराजपत्रित)	70-1-80 द० रो०-1-85 रु०	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच
4.	फराश एवं झाड़ूकण/ चौकीदार/माली।	12 (बारह)	साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4 अराजपत्रित)	70-1-80-द०रो०-1-85 रु०	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच
5.	गेस्टेटर प्रखालक	3 (तीन)	साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4 अराजपत्रित)	80-3-110 रु०	अचयन	लागू नहीं होता
<hr/>						
				8	9	10
मिडिल स्कूल स्तर तक पास					नहीं	2 वर्ष
<b>बाछनीय :</b>						
पैकिंग में एक वर्ष का अनुभव मिडिल स्कूल स्तर तक पास					लागू नहीं होता	2 वर्ष
<b>बाछनीय</b>						
प्राइमरी स्कूल स्तर तक पास					लागू नहीं होता	2 वर्ष
लागू नहीं होता					लागू नहीं होता	2 वर्ष
<hr/>						
		11	12	13	14	
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा।		<b>स्थानान्तरण :—</b> ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पद धारण करते हों और जिनके पास स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों।		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के ही न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।		<b>प्रोन्नति :—</b> चपरासी, जिसकी उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा हो।		वर्ग 4 वि० प्रो० सं०	लागू नहीं होता।	
		<b>स्थानान्तरण :—</b> ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के अधीन समरूप या समतुल्य पद धारण करते हों और जिनके पास स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों।				
सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा।		<b>स्थानान्तरण :—</b> ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पद धारण करते हों।		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
प्रोन्नति द्वारा		<b>प्रोन्नति :—</b> गेस्टेटर मशीनों के प्रचालित करने और उन्हें बनाए रखने में प्रवीणता रखने वाले दफ्तरी/पैकर, जिसकी उम श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा हो।		वर्ग 4 वि० प्रो० सं०	लागू नहीं होता।	

**MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION  
(Department of Tourism)**

New Delhi, the 27th March, 1973

**G.S.R. 401.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class IV posts in the Tourist Offices of Government of India under the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism), namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of Government of India (Class IV posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment in column 7 of the Schedule may be relaxed in

the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Recruitment rules for class IV posts of daftary, packers, peon and frash-cum-sweepor chowkidar/mali and gestetner operator in the Department of Tourism, Government of India tourist offices in India

Sl. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scales of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Daftary	3 (Three)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 75-1-85-EB-2-95	Non-Selection	Between 18 years and 25 years.	Middle School Standard pass	No
	Period for probation if any	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
	10	11		12		13	14	
	2 years	By promotion, failing which by transfer and failing both by direct recruitment		Promotion : Peons with at least 3 years' continuous service in the grade.		Class IV D.P.C.	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Packer	5 (Five)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 75-1-85-EB-2-95.	Non-Selection	Between 18 years and 25 years.	Middle School Standard Pass	No
							<b>Desirable :</b> One year's experience in Packing.	
3.	Peon	22 (Twenty two)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not applicable	Between 18 years and 25 years	Middle School Standard Pass	Not applicable
							<b>Desirable :</b> A pass in the primary School Standard	Not applicable
4.	Frash-cum-Sweeper/Chowkidar/Mali	12 (Twelve)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not applicable	Between 18 years and 25 years	A pass in the primary School Standard	Not applicable
5.	Gestetner Operator	3 (Three)	General Central Services (Class IV Non-gazetted)	Rs. 80-3-110	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
10		11		12		13	14	
				<b>Transfer :</b> of persons holding similar or equivalent posts under the Central Government and possessing qualifications specified in Column 8.				
2 Years		By promotion, failing which by transfer and failing both by direct recruitment		<b>Promotion :</b> Peons with at least 3 years' service in the grade.		Class IV D.P.C.		Not applicable
				<b>Transfer :</b> Persons holding similar or equivalent posts under the Central Government and possessing qualifications specified in Column 8.				
2 years		By direct recruitment failing which by transfer		<b>Transfer :</b> Persons holding similar or equivalent posts in Central Government Offices and possessing qualifications specified in Column 8.		Not applicable		Not applicable
2 years		By direct recruitment failing which by transfer		<b>Transfer :</b> Persons holding similar or equivalent posts in the Central Government Offices.		Not applicable		Not applicable
2 years		By promotion		<b>Promotion :</b> Daftries/Packers with at least 3 years continuous service in the grade having proficiency in operating and maintaining gestetner machines.		Class IV DPC		Not applicable

[F. No. A. 12018/1/72 T.A.I.]  
G. L. GUPTA, Deputy Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1973

सांकांति० 402.—सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी III) तथा IV पद) भर्ती नियम, 1971 में और आगे सशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) ये नियम भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी III तथा IV पद) भर्ती (सशोधन) नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारत मौसम विज्ञान विभाग (श्रेणी III तथा IV पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, वैज्ञानिक सहायक (ब्रेषणात्मक निरीक्षक

के 3 पद तथा भंडार और पूर्ति सहायक के 1 पद सहित) के पदों से संबंधित पद 3 के सामने :—

- (1) कालम 6 से 8 तक के नीचे की गई प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"6 लागू नहीं होता।

7. लागू नहीं होता।

8 लागू नहीं होता।"

- (2) कालम 10 के नीचे की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—



"75 प्रतिशत प्रवर्तन-व-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा;  
25 प्रतिशत विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगी  
परीक्षा के आधार पर, चयन द्वारा प्रोन्नति द्वारा।"

[सं०ए० 12034/11/71-एम]  
एस० आर० शर्मा, भवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 1973

**G.S.R. 402.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Meteorological Department (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the India Meteorological Department (Class III and IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the India Meteorological Department (Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1971, against item 3 relating to the post of Scientific Assistant (including three posts of Inspector of Observatories and 1 post of Stores & Supply Assistant.)—

(i) for the entries under columns 6 to 8, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"6. Not applicable.

7. Not applicable

8. Not applicable."

(ii) for the entries under column 10, the following entries shall be substituted, namely:—

"75 per cent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness; 25 per cent by promotion by selection on the basis of competitive examination restricted to departmental candidates."

[No. A. 12034/11/71-M]  
M. R. SHARMA, Under Secy.

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1973

सा०शा०नि० 403.—मुम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम 6) की धारा 13क की उपधारा (2) द्वारा प्रबन्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मह समाधान हो जाने पर कि ग्रेटर मुम्बई नगरपालिका नियम उक्त अधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट प्रवधि के भवर मुम्बई पत्तन के न्यासियों के बोर्ड के लिए वो न्यासियों को निर्वाचित करने में अपने नियन्त्रणाधीन कारणों से असफल रहा है, यह निदेश देती है कि उक्त न्यासियों का निर्वाचन, 31 मई, 1973 को या उसके पूर्व किया जाएगा।

[फा० सं० 8-पीजी ए० (35)/73]

श्रीमती बी० निर्मल, भवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 4th April, 1973

**G.S.R. 403.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13A of the Bombay Port Trust Act, 1879 (Bombay Act 6 of 1879), the Central Government, having been satisfied that the Municipal Corporation of Greater Bombay has failed to elect two trustees to the Board of Trustees of the Port of Bombay within the period specified in section 10 of the said Act for reasons beyond its control, hereby directs that the election of the said trustees shall be held on or before the 31st May, 1973.

[F. No. 8-PGA(35)/73]

Smt. B. NIRMAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(W.P.C. Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th March, 1973

**G.S.R. 404.**—In the Notification of Government of India in the Ministry of Communications (W.P.C. Wing) No. 131 (No. R-11014/4/70-LR) dated the 24th January, 1973 published at page 253 of the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) dated 10th February, 1973, in rule 2 clause (e) the figures '1965' shall be inserted after the word 'Montreux'.

[R-11014/4/70-LR]

M. K. RAO, Assistant Wireless Adviser

